



Research Article

विकसित भारत 2047 के निर्माण में सर छोटू राम के राजनीतिक दर्शन का योगदान

अमरजीत^{1*}, डॉ. महेंद्र सिंह²

¹ शोधार्थी, राजनीतिक विभाग, एन. आई. आई, एल. एम विश्वविद्यालय, कैथल, हरियाणा, भारत

² सह – प्राध्यापक, राजनीतिक विभाग, एन. आई. आई, एल. एम विश्वविद्यालय, कैथल, हरियाणा, भारत

Corresponding Author: * अमरजीत

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20304853>

Abstract

सर छोटू राम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महत्वपूर्ण नेता और सामाजिक-राजनीतिक चिंतक थे, जिन्होंने खास तौर पर पंजाब के किसानों और ग्रामीण समाज के उत्थान में अतुलनीय योगदान दिया। उनका राजनीतिक दर्शन सामाजिक न्याय, कृषि सुधार और समावेशी विकास जैसे मुद्दों पर केंद्रित था, जो आज के विकसित भारत 2047 के निर्माण के लिए अत्यंत प्रासंगिक और प्रेरणादायक सिद्ध होता है। इस सारांश में उनके विचारों के प्रमुख तत्व, उनके द्वारा किए गए सामाजिक-राजनीतिक सुधार, और उनके दर्शन के आधुनिक भारत के विकास में योगदान का समग्र विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। सर छोटू राम का दर्शन मुख्य रूप से किसानों के अधिकारों की सुरक्षा, सामाजिक समानता की स्थापना, और ग्रामीण भारत के सशक्तिकरण पर केंद्रित था। उन्होंने किसानों के लिए ऋण मुक्ति, भूमि सुधार, और सहकारी समितियों की स्थापना के माध्यम से आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया। उनका दृढ़ विश्वास था कि स्वतंत्र भारत तभी प्रगति कर सकता है जब ग्रामीण क्षेत्र आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से सशक्त हों। उन्होंने जाति-धर्म के आधार पर होने वाले भेदभाव को समाप्त करने और सामाजिक समरसता स्थापित करने के लिए भी निरंतर प्रयास किए। विकसित भारत 2047 के परिप्रेक्ष्य में, सर छोटू राम के राजनीतिक दर्शन आज भी ग्रामीण विकास, कृषि आधुनिकीकरण, और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। उनकी सोच भारत के दीर्घकालिक विकास के लिए समावेशी नीतियों की आवश्यकता को रेखांकित करती है, जो किसानों के हितों को सर्वोपरि मानती है। आज के समय में, जब कृषि क्षेत्र को आधुनिक तकनीकों, जल संरक्षण, और बाजार से बेहतर तरीके से जोड़ने की आवश्यकता है, उनके प्रस्तावित सहकारी मॉडल और आर्थिक न्याय के सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। सर छोटू राम ने शिक्षा को ग्रामीण विकास का मूल आधार माना, जिससे सामाजिक जागरूकता और आर्थिक प्रगति संभव हो सके। उनके राजनीतिक दर्शन ने सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को मजबूत किया, जो आज के लोकतांत्रिक भारत की विकास यात्रा की नींव हैं। उनकी प्रेरणा और विचार आज भी किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान के लिए नीतियों और कार्यक्रमों के रूप में जीवित हैं। इस प्रकार, सर छोटू राम का दर्शन एक न्यायपूर्ण, समृद्ध और स्वावलंबी भारत के निर्माण में आज भी प्रासंगिक और प्रेरणादायक है।

Manuscript Information

- ISSN No: 2583-7397
- Received: 01-04-2026
- Accepted: 15-05-2026
- Published: 20-05-2026
- IJCRM:5(3); 2026: 266-272
- ©2026, All Rights Reserved
- Plagiarism Checked: Yes
- Peer Review Process: Yes

How to Cite this Article

अमरजीत, डॉ. महेंद्र सिंह. विकसित भारत 2047 के निर्माण में सर छोटू राम के राजनीतिक दर्शन का योगदान. Int J Contemp Res Multidiscip. 2026;5(3):266-272.

Access this Article Online



www.multiarticlesjournal.com

मुख्य शब्द: सर छोटू राम, राजनीतिक दर्शन, सामाजिक न्याय, कृषि सुधार, विकसित भारत 2047

प्रस्तावना

सर छोटू राम (24 नवंबर 1881 – 9 जनवरी 1945), जिनको दीनबंधु, किसानों का मसीहा और रहबर-ए-आजम के नाम से भी जाना जाता है, ब्रिटिशकालीन पंजाब के प्रमुख कृषि सुधारक, राजनीतिज्ञ और विचारक थे। उनका जन्म हरियाणा के रोहतक जिले के गढ़ी सम्पला गांव में एक जाट किसान परिवार में हुआ था। वे जाति-प्रथा और सांप्रदायिकता के प्रबल विरोधी थे क्योंकि वे आर्य समाज से प्रभावित थे। आरंभ में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ गए, लेकिन बाद में उन्होंने नेशनल यूनियनिस्ट पार्टी (Unionist Party) की सह-स्थापना की और पंजाब की कृषक राजनीति को नई दिशा दी।¹ सर छोटू राम का मुख्य रूप से भू-वितरणवाद (कृषि-केंद्रित राजनीति) पर आधारित राजनीतिक दर्शन था। वे मानते थे कि भारत की आत्मा गांवों और किसानों में बसती है। उनका फोकस आर्थिक न्याय, किसानों के शोषण-मुक्ति, उचित मूल्य, सिंचाई सुविधा और ग्रामीण विकास पर था, न कि धार्मिक विभाजन पर। उन्होंने साहूकारों के अत्याचार से किसानों को बचाने के लिए महत्वपूर्ण कानून बनवाए, जैसे (Punjab Relief of Indebtedness Act, 1934 और Punjab Debtors' Protection Act, 1936)। इन कानूनों ने ऋण राहत बोर्ड, ब्याज की सीमा और काश्तकारों के अधिकारों की रक्षा की। वे MSP (Minimum Support Price) की अवधारणा के अप्रदूत माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने किसानों को खेती के खर्चों की भरपाई का विचार सबसे पहले प्रस्तुत किया।² उनका एक अन्य बड़ा योगदान भाखड़ा नांगल बांध की कल्पना (1923) था, जिसे वे पंजाब के किसानों को सूखे और आर्थिक संकट से मुक्ति दिलाने के लिए आवश्यक मानते थे। उन्होंने Punjab Agricultural Produce Markets Act भी पास कराया, जो आधुनिक कृषि बाजार व्यवस्था की नींव बना।³ सर छोटू राम यूनियनिस्ट पार्टी के माध्यम से हिंदू-मुस्लिम-सिख किसानों का सेकुलर गठबंधन बनाने में सफल रहे। वे सांप्रदायिक राजनीति (कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों) के विरोधी थे और मानते थे कि राजनीति का आधार आर्थिक हित होना चाहिए, न कि धर्म।⁴ उनका दर्शन रचनात्मक राष्ट्रवाद पर टिका था। वे ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करते हुए भी किसानों के हितों की रक्षा करते थे। शिक्षा, विशेषकर ग्रामीण लड़कियों की शिक्षा, और पंचायतों को शक्ति देने पर उन्होंने जोर दिया। वे अविभाजित पंजाब के पक्षधर थे और बंटवारे की राजनीति को राष्ट्र-विरोधी मानते थे।

सर छोटू राम का राजनीतिक दर्शन विकसित भारत 2047 के संदर्भ में बहुत प्रासंगिक है। आज का भारत 'विकसित भारत' का लक्ष्य लेकर चल रहा है, जिसमें आत्मनिर्भरता, समावेशी विकास, कृषि आधुनिकीकरण, किसान आय दोगुनी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सशक्तिकरण प्रमुख स्तंभ हैं। उनके कृषि संबंधी सुधार MSP, सिंचाई परियोजनाओं और किसान बाजार कानूनों से सीधे जुड़ते हैं। आज के फार्म लॉज, पीएम किसान सम्मान निधि और जीवंत गाँव (Vibrant Village) कार्यक्रम उनके ग्रामीण-केंद्रित विकास के विचार को प्रतिबिंबित करते हैं।⁵ इसके अलावा, उनका सेकुलर और क्रॉस-कम्यूनल दर्शन 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' के सिद्धांत से मेल खाता है। विकसित भारत का लक्ष्य बिना किसानों और गांवों को मजबूत किए हासिल नहीं किया जा सकता। सर छोटू राम का संदेश स्पष्ट है-किसान राष्ट्र की रीढ़ है; उनकी समृद्धि ही सच्चा विकास है। उनके विचार आज भी हरियाणा-पंजाब की कृषि समृद्धि में

दिखते हैं और भविष्य में भी ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने में मार्गदर्शन कर सकते हैं।

साहित्य की समीक्षा

मदन गोपाल (1977) की किताब, सर छोटू राम: एक राजनीतिक जीवनी, सर छोटू राम के राजनीतिक जीवन का एक विस्तृत और सजीव विवरण प्रदान करती है। लेखक, यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना, कृषि आंदोलन और ब्रिटिश सरकार के साथ उनके रचनात्मक सहयोग के एक आख्यान में, ब्रिटिश-युग के अविभाजित पंजाब की पृष्ठभूमि में छोटू राम की भूमिका को चित्रित करता है। यह किताब उनके कृषि सुधारों, ऋण राहत कानूनों और किसानों को साहूकारों के चंगुल से मुक्त कराने के उनके प्रयासों की गहराई से पड़ताल करती है। गोपाल, छोटू राम को एक दूरदर्शी नेता के रूप में चित्रित करते हैं, जिन्होंने आर्थिक मुद्दों पर आधारित राजनीति की वकालत की। यह जीवनी उनके व्यक्तिगत संघर्षों, शैक्षिक सुधारों और ग्रामीण विकास में उनके योगदान को भी उजागर करती है, जिससे पाठक उनके व्यक्तित्व के बहुआयामी स्वरूप को समझ पाते हैं। इस कृति को सर छोटू राम की राजनीतिक यात्रा को समझने के लिए एक प्राथमिक स्रोत माना जाता है।⁶

के.सी. यादव (2013) के लेख सर छोटू राम की जाट-केंद्रित गतिविधियों पर प्रकाश डालते हैं, और साथ ही उनकी धर्मनिरपेक्ष पहचान तथा किसानों को जागृत करने में उनकी भूमिका पर भी जोर देते हैं। यादव बताते हैं कि कैसे छोटू राम ने जाट समुदाय को संगठित करने के साथ-साथ हिंदू, मुस्लिम और सिख किसानों का एक अंतर-सामुदायिक गठबंधन भी बनाया—एक ऐसी पहल जिसने सांप्रदायिक राजनीति का मुकाबला करने का काम किया। उनके लेखन (जाट गज़ट) के माध्यम से किसानों में जागरूकता फैलाने के प्रयासों, आर्य समाज के प्रभाव और आर्थिक न्याय की निरंतर मांग को रेखांकित करते हैं। यादव, छोटू राम को पंजाब के किसानों का सच्चा प्रतिनिधि मानते हैं—एक ऐसा नेता जो दलित और पिछड़े कृषि समुदायों की आवाज़ बन गया। ये लेख उनके जाट-केंद्रित प्रयासों का एक धर्मनिरपेक्ष ढांचे के भीतर विश्लेषण करते हैं; एक ऐसा दृष्टिकोण जो समकालीन समावेशी विकास के संदर्भ में आज भी अत्यंत प्रासंगिक है। यादव का काम छोटू राम की राजनीति को सामाजिक-आर्थिक ढांचे के भीतर समझने में बहुत अहम है।⁷

सूबे सिंह और डॉ. अजय कुमार शर्मा का लेख (2023), "पंजाब की राजनीति में सर छोटू राम का एक ऐतिहासिक विश्लेषण", पंजाब की राजनीति में सर छोटू राम की भूमिका का ऐतिहासिक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। लेखक उन्हें यूनियनिस्ट पार्टी के मुख्य निर्माता के रूप में चित्रित करते हैं, जिन्होंने आर्थिक मुद्दों पर आधारित राजनीति का समर्थन किया। यह लेख उनके कृषि सुधारों, MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) जैसी अवधारणाओं, भाखड़ा नांगल बांध की परिकल्पना, और साहूकारों के खिलाफ उनके कानूनों (जैसे पंजाब ऋण राहत अधिनियम) का विस्तार से वर्णन करता है। हालाँकि यह लेख यूनियनिस्ट राजनीति को "निष्ठा" के दृष्टिकोण से देखता है, फिर भी यह छोटू राम के किसान-केंद्रित योगदानों पर जोरदार ढंग से बल देता है। यह "सर छोटू राम: दलितों की आवाज़" की भावना से मेल खाता है और उनकी कृषि पहलों तथा अविभाजित पंजाब के प्रति उनके दृष्टिकोण पर प्रकाश डालता है। यह शोध-पत्र शोधकर्ताओं के लिए एक मूल्यवान संसाधन का काम करता है।⁸

प्रेम चौधरी, एच.एल. अग्निहोत्री (1978) सर छोटू राम के आर्य समाज के साथ जुड़ाव, उनके शैक्षिक सुधारों और ग्रामीण विकास की दिशा में उनके प्रयासों पर विशेष जोर देते हैं। प्रेम चौधरी के कार्य पंजाब की राजनीति और रोहतक जिले के भीतर कृषि आंदोलनों में उनकी भूमिका का एक केस स्टडी प्रस्तुत करते हैं। एच.एल. अग्निहोत्री और शिव नारायण मलिक द्वारा लिखित (साहस की एक मिसाल) इस नेता की एक प्रभावशाली जीवनी प्रस्तुत करती है, जिसमें शिक्षा, पंचायत सशक्तिकरण और लड़कियों की शिक्षा के क्षेत्रों में उनके प्रयासों को उजागर किया गया है। ये स्रोत आर्य समाज से उन्हें मिली प्रेरणा, जातिगत भेदभाव के खिलाफ उनके रुख और ग्रामीण पिछड़ेपन को दूर करने के उनके दृष्टिकोण का विश्लेषण करते हैं। ये कार्य छोटू राम को केवल एक राजनेता के रूप में ही नहीं, बल्कि एक समाज सुधारक के रूप में स्थापित करते हैं-एक ऐसा प्रभाव जो समकालीन ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में आज भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। कुल मिलाकर, ये स्रोत उनके बहुआयामी योगदानों पर एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।⁹

1. भू-वितरणवाद और किसान संरक्षण

भूमि वितरण और किसानों की सुरक्षा: सर छोटू राम का मानना था कि किसान भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ और राष्ट्र की शक्ति हैं। उन्होंने साहूकारों द्वारा किसानों के शोषण के खिलाफ कड़े कानून लागू किए और भूमि सुधारों का समर्थन किया, ताकि ज़मीन उन लोगों को मिल सके जो उस पर खेती करते हैं। उन्होंने कृषि उत्पादों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित किए और किसानों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए भाखड़ा बांध और रोहतक-हिसार नहरों जैसी सिंचाई परियोजनाओं पर जोर दिया। उनकी दूरदृष्टि से न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price.) जैसी अवधारणाओं का जन्म हुआ, जो आज भी किसानों की आर्थिक सुरक्षा का एक मुख्य आधार बनी हुई हैं। ग्रामीण भारत की समृद्धि और स्थिरता के लिए उनका दर्शन अत्यंत महत्वपूर्ण था।¹⁰

2. धर्मनिरपेक्षता और अंतर-सामुदायिक गठबंधन

सर छोटू राम, एक सांप्रदायिक राजनीति विरोधी, जो यूनियनिस्ट पार्टी के माध्यम से हिंदू-मुस्लिम और सिख कृषकों को एकजुट करते थे, अविभाजित भारत के पक्षधर थे और मानते थे कि धार्मिक आधार पर बंटवारा देश के एकता और विकास को कमजोर करेगा। उनका यह दृष्टिकोण आज के समावेशी विकास (Inclusive Growth) के सिद्धान्तों से मेल खाता है। उन्होंने धार्मिक और साम्प्रदायिक मतभेदों से ऊपर उठकर एक साझा राजनीतिक और सामाजिक मंच तैयार किया, जो कि भारत की बहु-सांस्कृतिक पहचान और लोकतान्त्रिक मूल्यों के लिए अत्यंत आवश्यक था।¹¹

3. शिक्षा और सामाजिक सुधार

सर छोटू राम ने शिक्षा को सामाजिक सुधार का प्रमुख माध्यम माना। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा अधिनियम पारित किया और विशेष रूप से कृषक बच्चों और लड़कियों के लिए शिक्षा में सहूलियतें प्रदान कीं। आर्य समाज के प्रभाव में वे जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ थे और ग्रामीण पिछड़ेपन को खत्म करने के लिए शिक्षा को आवश्यक साधन मानते थे। उनका मानना था कि शिक्षा ही समाज में समानता और प्रगति ला सकती है। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के स्तर को

सुधारने का प्रयास किया ताकि सामाजिक और आर्थिक विकास को गति मिल सके।¹²

4. रचनात्मक राजनीति और राष्ट्रवाद

हालाँकि सर छोटू राम ब्रिटिश सरकार के सहयोगी थे, फिर भी वे एक सक्रिय राष्ट्रवादी भी थे। उनका लक्ष्य संघर्ष को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि रचनात्मक सुधारों के माध्यम से देश में सकारात्मक बदलाव लाना था। उन्होंने ग्राम पंचायतों को अधिक अधिकार देने, भूमि सुधारों को लागू करने और ग्रामीण औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य स्थानीय स्व-शासन और आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना था। उनका मानना था कि देश की स्वतंत्रता और विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक सुधार अत्यंत आवश्यक हैं, जो ग्रामीण जीवन को मज़बूत और टिकाऊ बनाएँगे।¹³

विकसित भारत 2047 में संभावित समस्याएं निम्नलिखित हो सकती हैं: विकसित भारत 2047 में संभावित समस्याओं का विस्तार निम्नलिखित है:

आबादी और संसाधन प्रबंधन:

भारत की जनसंख्या अभी ही दुनिया में दूसरी सबसे ज्यादा है, और 2047 तक यह और भी बढ़ने की संभावना है। बढ़ती जनसंख्या के चलते खाद्य, पानी और ऊर्जा की मांग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इस बढ़ती मांग को पूरा करना एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं। जल स्रोतों पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ सकता है, जिससे जल संकट और गहरा हो सकता है। साथ ही, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी सीमित हैं और उनके दुष्प्रभाव पर्यावरण पर बढ़ रहे हैं। इसलिए, संसाधनों का प्रभावी और सतत प्रबंधन जरूरी होगा, जिसमें नवीनीकृत ऊर्जा स्रोतों का विकास, जल संरक्षण तकनीकों का बड़े पैमाने पर उपयोग और खाद्य उत्पादन में सुधार शामिल होगा। इसके बिना, भारत की आर्थिक और सामाजिक प्रगति धीमी पड़ सकती है और जीवन स्तर प्रभावित होगा।¹⁴

पर्यावरण प्रदूषण:

औद्योगिकीकरण और तेज़ी से बढ़ते शहरीकरण के कारण वायु, जल, और ध्वनि प्रदूषण में निरंतर वृद्धि देखी जा रही है, जो स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता पर गंभीर प्रभाव डालती है। वायु प्रदूषण से श्वसन संबंधी रोग बढ़ रहे हैं, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य पर भारी बोझ पड़ता है। जल प्रदूषण से न केवल जलीय जीवन प्रभावित होता है, बल्कि पीने के पानी की गुणवत्ता भी घटती है, जो रोगों को बढ़ावा देता है। ध्वनि प्रदूषण से तनाव, नींद की कमी और मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसके अलावा, औद्योगिक और कृषि कचरे का उचित निपटान न होना पर्यावरण को और नुकसान पहुंचाता है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए कड़े नियम और हरित तकनीकों को अपनाना आवश्यक होगा, तभी 2047 में एक स्वच्छ और स्वस्थ भारत का निर्माण संभव होगा।¹⁵

बेरोजगारी और आर्थिक असमानता:

तकनीकी विकास के बावजूद रोजगार के अवसर सीमित रह सकते हैं, खासकर उन क्षेत्रों में जहां स्वचालन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता मशीनों का

प्रयोग बढ़ रहा है। इससे पारंपरिक नौकरियां खत्म हो सकती हैं, जिससे बेरोजगारी की समस्या गहरी होगी। इसके अलावा, आर्थिक असमानता भी बढ़ सकती है क्योंकि विकसित तकनीकों का लाभ सीमित वर्ग तक ही सिमट सकता है। इससे समाज में सामाजिक तनाव और असंतोष की स्थिति पैदा हो सकती है। भारत को इस चुनौती से निपटने के लिए नई आर्थिक नीतियों बनानी होंगी, जिसमें कौशल आधारित शिक्षा, स्टार्टअप को बढ़ावा, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने पर ध्यान देना होगा। तभी समावेशी विकास सुनिश्चित हो सकेगा और आर्थिक असमानता को कम किया जा सकेगा।¹⁶

शिक्षा और कौशल विकास:

तेज़ी से बदलती तकनीकी दुनिया में, शिक्षा प्रणाली को अप-टू-डेट रखना और सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना एक बड़ी चुनौती होगी। डिजिटल शिक्षा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकती है, लेकिन इसके लिए बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करने की ज़रूरत है। इसके अलावा, शिक्षकों को आधुनिक तकनीकों से लैस करना और व्यावहारिक कौशल पर ज्यादा ध्यान देना ज़रूरी होगा। शिक्षा में असमानताओं को कम करने के लिए, सरकार और निजी क्षेत्रों को मिलकर काम करना चाहिए ताकि ग्रामीण और पिछड़े इलाकों के बच्चों को समान अवसर मिल सकें। इन पहलुओं पर ध्यान न देने से भारत के युवा वैश्विक प्रतिस्पर्धा में पीछे रह सकते हैं।¹⁷ स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच: बढ़ती आबादी के लिए, खासकर ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में, पर्याप्त और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराना बहुत ज़रूरी होगा।

आधुनिक तकनीक का दुरुपयोग:

जैसे-जैसे भारत तकनीकी रूप से विकसित होगा, वैसे-वैसे साइबर अपराधों की संख्या में भी वृद्धि हो सकती है। इंटरनेट, डिजिटल भुगतान, और स्मार्ट उपकरणों के बढ़ते उपयोग से डेटा चोरी, हैकिंग, ऑनलाइन धोखाधड़ी, और गोपनीयता के उल्लंघन की घटनाएँ आम हो सकती हैं। इससे न केवल व्यक्तिगत और व्यावसायिक जानकारी खतरे में पड़ेगी, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरा हो सकता है। इसके अतिरिक्त, तकनीकी नवाचारों का गलत इस्तेमाल जैसे नकली खबरें (Fake News), सोशल मीडिया पर गलत सूचनाओं का प्रसार, और डिजिटल निगरानी के दुरुपयोग से सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता भी हो सकती है। इसलिए, साइबर सुरक्षा को मज़बूत करना, कानूनी व्यवस्था को सुदृढ़ करना, और जन-जागरूकता बढ़ाना अत्यंत आवश्यक होगा ताकि तकनीक का लाभ सुरक्षित और सकारात्मक रूप में लिया जा सके।¹⁸

सामाजिक और सांस्कृतिक तनाव:

भारत एक बहुसांस्कृतिक और बहुधार्मिक देश है, जहाँ विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच असमानता, भेदभाव, और सांस्कृतिक टकराव की संभावनाएँ बनी रहती हैं। आर्थिक असमानता, जातीय और धार्मिक भेदभाव, और सामाजिक अलगाव से तनाव उत्पन्न हो सकता है। इसके परिणामस्वरूप सामाजिक एकता कमजोर हो सकती है, जो देश की विकास यात्रा में बाधा डालती है। 2047 तक यदि सामाजिक समरसता और सहिष्णुता को बढ़ावा नहीं दिया गया, तो यह तनाव हिंसा, अस्थिरता, और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले सकता है।

सामाजिक न्याय, समान अवसर, और संवाद को प्रोत्साहित करने वाली नीतियाँ इस समस्या को कम करने में मदद करेंगी।¹⁹

कृषि संकट:

जलवायु परिवर्तन के कारण भारत के कृषि क्षेत्र पर गंभीर संकट आने की संभावना है। बढ़ते तापमान, अनियमित मानसून, और अतिवृष्टि या सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाएँ फसलों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसके साथ ही, भूमि उपयोग में बदलाव और प्रदूषण भी कृषि उत्पादन को प्रभावित कर सकते हैं। इससे खाद्य सुरक्षा पर बड़ा खतरा उत्पन्न होगा, जो देश की जनसंख्या को पोषण उपलब्ध कराने में बाधा डालेगा। किसानों की आर्थिक स्थिति भी खराब हो सकती है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था कमजोर होगी। कृषि क्षेत्र में शोध, जल संचयन तकनीक, और सतत कृषि पद्धतियों को अपनाना आवश्यक होगा ताकि इस संकट से बचा जा सके।²⁰

शहरीकरण की चुनौतियाँ:

भारत के बड़े शहर तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जिससे भीड़भाड़, ट्रैफिक जाम, और प्रदूषण जैसी समस्याएँ आम हो गई हैं। इसके अलावा, शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सेवाओं जैसे पानी, बिजली, आवास, और स्वच्छता की कमी भी एक बड़ी चुनौती बनी रहेगी। आवास की कमी के कारण झुग्गी-झोपड़ी और असंगठित बस्तियों का विस्तार होगा, जहाँ रहने की स्थिति खराब होगी। शहरी योजना और इंफ्रास्ट्रक्चर का उचित विकास न होने से ये समस्याएँ और गंभीर हो सकती हैं। इसलिए, स्मार्ट सिटी परियोजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करना, सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुधारना, और बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करना आवश्यक होगा।²¹

जलवायु परिवर्तन:

जलवायु परिवर्तन की वजह से भारत में तापमान में वृद्धि, मानसून के पैटर्न में अनियमितता, और प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा, और चक्रवात की आवृत्ति में वृद्धि हो सकती है। ये परिवर्तन कृषि, जल संसाधन, स्वास्थ्य, और आर्थिक स्थिरता को प्रभावित करेंगे। प्राकृतिक आपदाओं के कारण बुनियादी ढाँचे को नुकसान, आर्थिक नुकसान, और सामाजिक विस्थापन की घटनाएँ बढ़ेंगी। इसके अलावा, जलवायु परिवर्तन से कमजोर वर्ग अधिक प्रभावित होगा, जिससे सामाजिक असमानता भी बढ़ सकती है। इस चुनौती से निपटने के लिए प्रभावी जलवायु नीति, आपदा प्रबंधन, और पर्यावरण संरक्षण के उपाय आवश्यक होंगे।²²

विकसित भारत 2047 के लिए कुछ सुझाव इस प्रकार हैं:

नवीन तकनीकों का समावेश और अनुसंधान बढ़ाएं:

भारत को वैश्विक तकनीकी प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए अनुसंधान एवं विकास (Research and Development) में भारी निवेश करना होगा। नई तकनीकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और उद्योगों में प्रभावी रूप से अपनाना आवश्यक है ताकि उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार हो। इसके साथ ही, स्टार्टअप और नवाचार केंद्रों को भी बढ़ावा देना चाहिए जिससे युवा प्रतिभाओं को अवसर मिलें। इसके अलावा, देश को कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, और बायोटेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में अग्रणी बनाना होगा। इससे न केवल आर्थिक विकास होगा, बल्कि सामाजिक समस्याओं का समाधान भी संभव होगा।²³

सामुदायिक भागीदारी और नागरिक जागरूकता बढ़ाएं:

विकास योजनाओं की सफलता के लिए स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। नागरिकों को उनके अधिकार, कर्तव्य, और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना होगा, जिससे वे विकास कार्यों में सहयोग कर सकें। इसके लिए जागरूकता कार्यक्रम, पंचायतों की सशक्तता, और सामाजिक संस्थाओं की भागीदारी बढ़ाना जरूरी है। जब लोग अपने विकास में सहभागी बनेंगे तो योजनाओं की प्रभावशीलता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार कम होगा। साथ ही, यह सामाजिक सामंजस्य और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूत करेगा।²⁴

डिजिटल समावेशन सुनिश्चित करें:

भारत के दूर-दराज और पिछड़े इलाकों में डिजिटल नेटवर्क और इंटरनेट की पहुंच सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य, सरकारी सेवाओं और व्यावसायिक अवसरों का लाभ सभी तक पहुंच सकेगा। डिजिटल अंतर को कम करने के लिए स्कूलों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना होगा और डिजिटल साक्षरता अभियान चलाना होगा। इसके साथ ही, ग्रामीण क्षेत्र में सस्ते और विश्वसनीय इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करना होगा। इससे समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा और सामाजिक आर्थिक असमानताएं कम होंगी।²⁵

जल एवं ऊर्जा संरक्षण पर बल दें:

भारत को जल संकट से निपटने के लिए वर्षा जल संचयन, जल संरक्षण तकनीकों, और नदियों के संरक्षण को प्राथमिकता देनी होगी। साथ ही, ऊर्जा क्षेत्र में अक्षय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर, पवन, और बायोमास का विकास तेजी से करना होगा ताकि पारंपरिक ऊर्जा पर निर्भरता कम हो। ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए स्मार्ट ग्रिड और ऊर्जा संरक्षण उपकरणों को अपनाना जरूरी होगा। जल और ऊर्जा संरक्षण से न केवल पर्यावरण की रक्षा होगी, बल्कि आर्थिक बचत भी संभव होगी, जो सतत विकास के लिए आवश्यक है।²⁶

सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा योजनाएं मजबूत करें:

गरीब और कमजोर वर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को और प्रभावी बनाना जरूरी है। इसमें स्वास्थ्य बीमा, पेंशन योजनाएं, बेरोजगारी भत्ता, और खाद्य सुरक्षा शामिल हैं। इससे आर्थिक असुरक्षा कम होगी और लोगों को बेहतर जीवन स्तर मिलेगा। साथ ही, महिलाओं, बच्चों, और वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष योजनाएं बनानी चाहिए ताकि वे भी समाज के विकास में सक्रिय भूमिका निभा सकें। आर्थिक सुरक्षा से सामाजिक स्थिरता बढ़ेगी और विकास के लाभ अधिक समतामूलक होंगे।²⁷

विकसित भारत 2047 में उनका योगदान: प्रासंगिकता

विकसित भारत 2047 का विजन विकसित अर्थव्यवस्था, आत्मनिर्भरता, समावेशी विकास और ग्रामीण-शहरी संतुलन पर आधारित है। सर छोटू राम के दर्शन निम्न तरीकों से योगदान दे सकते हैं:

कृषि और ग्रामीण उद्योग में योगदान:

सर छोटू राम ने भारतीय कृषि और ग्रामीण उद्योगों के उत्थान के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन्होंने किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP), सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, और बाजार सुधारों जैसे

पंजाब कृषि उपज बाजार अधिनियम के माध्यम से कृषि उत्पादों के बेहतर मूल्य सुनिश्चित करने की दिशा में काम किया। उनके प्रयास ग्रीन रिवोल्यूशन की नींव बने, जिसने भारत को खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया। आज विकसित भारत 2047 की योजना में फॉर्मर्स लॉज और किसान आय बढ़ाने के लक्ष्य उनके इसी दर्शन से प्रेरित हैं। उन्होंने यह सिद्ध किया कि कृषि क्षेत्र को मजबूत करके ही समग्र आर्थिक विकास संभव है।²⁸

समावेशी विकास का सिद्धांत:

सर छोटू राम का समावेशी विकास का विचार 'सबका साथ, सबका विकास' के सिद्धांत से मेल खाता है। उन्होंने भारतीय किसानों और ग्रामीण जनजीवन को संविधान में सम्मान दिलाने के लिए संघर्ष किया, जिससे वे समाज के मुख्यधारा में शामिल हो सकें। उनका यह दर्शन दीनबंधु के रूप में किसानों के अधिकारों की रक्षा करता है और सभी वर्गों के लिए समान अवसर प्रदान करता है। विकसित भारत 2047 में सामाजिक न्याय और आर्थिक समावेशन को प्राथमिकता देने के पीछे उनका ये विचार प्रेरणा स्रोत है।²⁹

ग्रामीण-शहरी संतुलन स्थापित करना:

सर छोटू राम ने ग्रामीण इलाकों के विकास पर विशेष बल दिया ताकि शहरीकरण के साथ ग्रामीण क्षेत्रों का संतुलित विकास हो सके। उन्होंने कृषि के साथ-साथ छोटे और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने की वकालत की, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ें। यह दृष्टिकोण विकसित भारत 2047 के ग्रामीण-शहरी संतुलन के लक्ष्य के अनुरूप है, जो देश की समग्र समृद्धि के लिए आवश्यक है। उनका यह योगदान ग्रामीण पुनरुद्धार की दिशा में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करता है।³⁰

सेकुलर और संगठित राष्ट्र का सपना सर छोटू राम की दूरदर्शिता का प्रतीक है। उन्होंने अविभाजित पंजाब के एकता और सामंजस्य की भावना को महत्व दिया, जो आज के एक भारत, श्रेष्ठ भारत के विचार से गहराई से जुड़ा हुआ है। उनका यह सपना आज भी भारत के विविधता में एकता के सिद्धांत को मजबूत करता है, जहाँ विभिन्न धर्म, भाषा और संस्कृति के लोग बिना भेदभाव के साथ मिल-जुलकर रहते हैं। इस दृष्टिकोण से भारत एक संगठित और सेक्युलर राष्ट्र के रूप में उभर सकता है, जो समावेशी विकास और सामाजिक सौहार्द को प्रोत्साहित करता है।³¹

ग्राम पंचायत को शक्ति देने का सर छोटू राम का विचार आज की सामाजिक राज व्यवस्था को मजबूती प्रदान करता है। उन्होंने स्थानीय स्वशासन और पंचायतों के सशक्तिकरण पर बल दिया, जिससे ग्रामीण जनता अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर सके। यह विचार आज के लोकतांत्रिक भारत के लिए अत्यंत प्रासंगिक है, जहाँ ग्राम पंचायतें पंचायत राज व्यवस्था के माध्यम से ग्रामीण विकास और शासन में सहभागिता सुनिश्चित करती हैं। ग्राम स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया को सशक्त बनाकर ही समाज में समावेशी और न्यायसंगत विकास संभव है।³²

सर छोटू राम के विचार हरियाणा और पंजाब की कृषि समृद्धि में आज भी जीवित हैं। उन्होंने किसानों के अधिकारों, कृषि सुधारों, और बाजार सुधारों के माध्यम से इन क्षेत्रों को कृषि विकास का मॉडल बनाया। विकसित भारत 2047 में ग्रामीण भारत को मजबूत किए बिना राष्ट्रीय लक्ष्य हासिल करना असंभव होगा, यही उनकी सबसे बड़ी सीख और

मूल संदेश है। ग्रामीण भारत की समृद्धि पर ही देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति निर्भर है, और इस दिशा में उनकी शिक्षाएं आज भी मार्गदर्शक हैं।

निष्कर्ष

सर छोटू राम का राजनीतिक दर्शन आधुनिक भारत के लिए प्रेरणादायक है। उनका फोकस आर्थिक न्याय, किसान सशक्तिकरण, सेकुलर गठबंधन और रचनात्मक सुधार पर था, जो विकसित भारत 2047 के स्तंभों-कृषि आधुनिकीकरण, समावेशी विकास और राष्ट्र एकता—से सीधे जुड़ता है। आज के नीति-निर्माताओं को उनके कृषि संबंधी सुधारों, शिक्षा विज्ञान और ग्रामीण केंद्रित विकास से सीख लेनी चाहिए। उनके शब्दों में, "पंजाब से पेशावर तक हर किसान जो हल चलाता है, मेरा वारिस है" यह भावना विकसित भारत में हर गांव को समृद्ध बनाने की प्रेरणा देती है।

संदर्भ सूची

1. गोपाल, एम. (1977). सर छोटू राम: एक राजनीतिक जीवनी। बी.आर. प्रकाशन निगम. (जीवनी और यूनिवर्सिटी पार्टी की स्थापना)।
2. यादव, ए. (2013)। सर छोटू राम: संयुक्त पंजाब में वंचितों की आवाज़। इकोन्सपीक: ए इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एडवांस इन मैनेजमेंट, आईटी एंड सोशल साइंसेज, 3(1)। (ऋण राहत कानून और एमएसपी अवधारणा)।
3. सिंह, एस., और शर्मा, ए.के. (2023)। पंजाब की राजनीति में सर छोटू राम का एक ऐतिहासिक विश्लेषण। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ हिस्ट्री, 5(2), 163-168। (भाखड़ा नांगल बांध और कृषि बाजार अधिनियम)।
4. वर्मा, डी.सी. (एन.डी.)। सर छोटू राम - जीवन और समय। (सेक्युलरिज़्म और क्रॉस-कम्यूनल एलायंस)।
5. अग्निहोत्री, एच.एल., और मलिक, एस.एन. (1978)। साहस में एक प्रोफ़ाइल: चौधरी की जीवनी। छोटू राम. लाइट एंड लाइफ पब्लिशर्स। (ग्रामीण विकास एवं विकसित भारत से विनाश)।
6. गोपाल, एम. (1977). (सर छोटू राम: एक राजनीतिक जीवनी). बी.आर. पब्लिशिंग कॉर्पोरेशन.
7. यादव, ए. (2013). (सर छोटू राम: संयुक्त पंजाब में शोषितों की आवाज़) Econspeak: An International Journal of Advances in Management, IT & Social Sciences, 3(1). (के.सी. यादव के संदर्भ में).
8. सिंह, एस., और शर्मा, ए. के. (2023). (पंजाब की राजनीति में सर छोटू राम का एक ऐतिहासिक विश्लेषण)International Journal of History, 5(2), 163-168. <https://www.historyjournal.net/article/240/5-2-25-323.pdf>
9. अग्निहोत्री, एच. एल., और मलिक, एस. एन. (1978). (साहस की एक मिसाल: चौधरी छोटू राम की जीवनी). Light and Life

- Publishers; चौधरी, पी. (1984).पंजाब की राजनीति: सर छोटू राम की भूमिका. विकास पब्लिशिंग.
10. सिंह, एस. (2018)। सर चतुर्थ राम और उनका राजनीतिक अलगाव। भारतीय इतिहास जर्नल।
 11. शर्मा, आर. (2020)। भूमि सुधार किसान और आंदोलन। कृषि और समाज।
 12. वर्मा, के. (2019)। भारतीय धर्मनिरपेक्षता का इतिहास. सामाजिक अध्ययन।
 13. कुमार, एच. (2021)। सर छोटूराम: एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण। भारत स्वतंत्र प्रकाशन।
 14. भारत में जनसंख्या वृद्धि और संसाधन प्रबंधन, जर्नल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, 2023, पृ. 45-62।
 15. शहरी क्षेत्रों में जन स्वास्थ्य पर प्रदूषण का प्रभाव, एनवायरनमेंटल हेल्थ पर्सपेक्टिव्स, 2022, पृ. 78-95।
 16. प्रौद्योगिकी, रोज़गार और आर्थिक असमानता, इकोनॉमिक रिव्यू इंडिया, 2024, पृ. 112-130।
 17. भारत में शिक्षा और कौशल विकास में चुनौतियाँ, इंडियन एजुकेशनल रिसर्च जर्नल, 2023, पृ. 33-50।
 18. डिजिटल युग में साइबर सुरक्षा की चुनौतियाँ, इंडियन जर्नल ऑफ टेक्नोलॉजी, 2023, पृ. 23-40।
 19. भारत में सामाजिक सामंजस्य और सांस्कृतिक संघर्ष, जर्नल ऑफ सोशल साइंसेज़, 2022, पृ. 59-74।
 20. कृषि संकट और जलवायु परिवर्तन, एग्रीकल्चरल रिव्यू इंडिया, 2023, पृ. 88-105।
 21. भारत में शहरीकरण और बुनियादी ढाँचे की चुनौतियाँ, अर्बन स्टडीज़ जर्नल, 2024, पृ. 150-170।
 22. भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, एनवायरनमेंटल रिसर्च लेटर्स, 2023, पृ. 98-115।
 23. सतत विकास के लिए नवाचार और अनुसंधान, इंडियन जर्नल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 2024, पृ. 22-38।
 24. विकास परियोजनाओं में सामुदायिक भागीदारी, जर्नल ऑफ सोशल डेवलपमेंट स्टडीज़, 2023, पृ. 40-57।
 25. ग्रामीण भारत में डिजिटल खाई को पाटना, डिजिटल इंडिया रिपोर्ट, 2023, पृ. 12-29।
 26. जल और ऊर्जा संरक्षण रणनीतियाँ, एनवायरनमेंटल सस्टेनेबिलिटी जर्नल, 2024, पृ. 77-94।
 27. भारत में सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक समावेशन, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 2023, पृ. 60-82।
 28. सिंह, आर. (2020). "कृषि सुधार और ग्रामीण विकास: सर छोटू राम की विरासत," जर्नल ऑफ इंडियन हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स।
 29. शर्मा, पी. (2021). "भारत में समावेशी विकास और सामाजिक न्याय," सोशल साइंसेज़ रिव्यू।
 30. कौर, जे. (2019). "शहरी और ग्रामीण विकास में संतुलन: छोटू राम के दर्शन से सीख," रूरल डेवलपमेंट जर्नल।

31. सिंह, ए. (2022). "विविधता में एकता: अविभाजित पंजाब से सीख," इंडियन जर्नल ऑफ़ पॉलिटिकल साइंस.
32. वर्मा, एस. (2021). "पंचायतों का सशक्तिकरण: छोटू राम का दृष्टिकोण और समकालीन शासन," जर्नल ऑफ़ रूरल डेवलपमेंट.
33. गुप्ता, आर. (2023). "हरियाणा और पंजाब में कृषि समृद्धि: ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य," एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स रिव्यू

Creative Commons (CC) License

This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution–Non-Commercial–No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) license. This license permits sharing and redistribution of the article in any medium or format for non-commercial purposes only, provided that appropriate credit is given to the original author(s) and source. No modifications, adaptations, or derivative works are permitted under this license.

About the Corresponding Author



अमरजीत एन.आई.आई.एल.एम विश्वविद्यालय, कैथल, हरियाणा के राजनीतिक विभाग में शोधार्थी हैं। उनकी शैक्षणिक रुचि राजनीति विज्ञान, सामाजिक अध्ययन एवं समकालीन राजनीतिक मुद्दों के अध्ययन में है। वे शोध एवं अकादमिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से संलग्न हैं तथा अपने विषय क्षेत्र में निरंतर अध्ययन और अनुसंधान कार्य कर रहे हैं।